**न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी एक्ट, मेरठ।**

उपस्थितः अमित वीर सिंह (उच्चतर न्यायिक सेवा)

जे०ओ० कोड यू०पी० 6240

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–3097/2026

सईद पुत्र रफीक, निवासी–मौहल्ला माता वाला, कस्वा व थाना खरखौदा, जिला मेरठ।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार .....अभियोजन।

मु0अ0सं0 287 सन् 2025
धारा–191(2),115(2),118(2)352,
351(3),110बी.एन.एस तथा
धारा 3(2)5ए एस.सी./एस.टी. एक्ट
थाना–खरखौदा, जिला– मेरठ।

**दिनांकः 17.06.2026**

1. अभियुक्त सईद पुत्र रफीक ने न्यायालाय में उपस्थित होकर आत्मसमर्पण किया। आरोप पत्र के अनुसार अभियुक्त उपरोक्त मु०अ०सं० 287 सन् 2025, धारा 191(2), 115(2), 118(2), 352, 351(3), 110 बी.एन.एस व 3(2)5ए एस.सी./एस.टी. एक्ट, थाना खरखौदा, जिला मेरठ के प्रकरण में वांछित अभियुक्त है। अतः अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जावे। अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादिया सोनी पत्नी विनीत ने थाना खरखौदा, मेरठ पर दिनांक 23.11.2025 को समय 21:30 बजे इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि ''दिनांक 23.11.2025 को समय करीब 11:30 बजे दोपहर मेरे पति विनीत के साथ सोएब उर्फ चिन्टू, फिरदोस जहॉ, शहीद मंसूरी, अली हसन उर्फ मेहन्दी हसन, जावेद मंसूरी, हयात मंसूरी, निवासीगण वार्ड नम्बर 4 खरखोदा, मेरठ ने लाठी डण्डे व धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दियसा जिसमें मेरे पति के सिर में गम्भीर चोटें आयी है तथा ये कहकर बजाते रहे कि साले चमट्टे तुझे यहां खरखौदा में रहने नहीं देंगे। तू हमारी लड़की से शादी करके खरखौदा में रहेगा । ये लोगों ने पहले भी कई बार जान से मारने की धमकी देते हुए जानलेवा हमला किया है। प्रार्थिनी को भय है कि ये लोग मेरे पति को जान से मरवा देंगे।'' अतः रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की गयी।

3. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में जमानत का यह आधार लिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है। वादिया अभियुक्त सईद व फिरदौस की सगी बेटी है। दिनांक 29.06.2026 को वादिनी सोनी विनीत के साथ नकदी व रूपये लेकर चली गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना खरखौदा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट 138/2026 दर्ज

करायी गयी थी जिसकी प्रतिलिनि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को दी गयी थी जो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। उक्त मुकदमे में दबाव बनाने के लिये यह झूठा मुकदमा वादिनी द्वारा पंजीकृत कराया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अभियुक्त की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं दर्शायी गयी है। घटना सलि व्यस्त क्षेत्र है परन्तु घटना का कोई स्वतन्त्र निष्पक्ष साक्षी नहीं है। अभियुक्त कानून को मानने वाला व्यक्ति है। जमानत पर रिहा होने के बाद उसके फरार होने अथवा गवाहान को धमकाने की कोई सम्भावना नहीं है। अभियुक्त मजदूर पेशा व्यक्ति है जो मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं हैं। प्रार्थी/अभियुक्त एक सम्मानित परिवार का सदस्य है तथा माननीय न्यायालय की संतुष्टि हेतु उचित जमानत देने के लिए तैयार है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि अभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्त द्वारा वादिया जो उसकी सगी बेटी है, के साथ मारपीट करते हुए जातिसूचक शब्दो का प्रयोग किया गया है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर बल दिया गया।

5. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध वादिनी मुकदमा के साथ मारपीट करते हुए गाली गलौंच करने व जातिसूचक शब्दो का प्रयोग किये जाने का कथन किया गया है। अभियुक्त के संदर्भ में कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियुक्त दिनांक 10.06.2026 से अंतरिम जमानत पर था। उसके द्वारा अंतरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया है। एस.सी./एस.टी. एक्ट की धाराएं व अन्य सभी धाराएं सात वर्ष तक दंडनीय है। मामले में आरोप पत्र प्रेषित हो चुका है तथा किसी शेष साक्ष्य का संकलन नहीं होना है। सतेन्द्र कुमार अन्टिल बनाम सी०बी०आई० 2021(226) ए०आई०सी० 259 (एस०सी०) में प्रतिपादित सिद्धांत तथा मामले के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए गुण दोष पर अभिमत व्यक्त किये बिना जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त है।

## <u>आदेश</u>

अभियुक्त सईद पुत्र रफीक का मु0अ0सं0– 287 सन् 2025, धारा 191(2), 115(2), 118(2), 352, 351(3), 110 बी.एन.एस व 3(2)5ए एस.सी./एस.टी. एक्ट, थाना खरखौदा, जिला मेरठ के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त के द्वारा मु0 25000/–रूपये का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जावे

**दिनाक 17.06.2026**

**(अमित वीर सिंह)**
**अपर सत्र न्यायाधीश/**
**विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. एक्ट, मेरठ।**
**जे0ओ0कोड यू0पी0 6240**

*This is uncertified copy for information/reference.*
*For authentic copy Please refer to certified copy only.*

Digitally signed by AMIT VEER SINGH
Date: 2026.06.17 17:17:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court